(8)

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

राजस्व वाद सख्या 76/2006

श्री समदा सुपुत्र श्री नसीबा जाति मेहरात निवासी गांव देह बाडिया मेदा का झाक तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

.....वादीगण

बनाम

1. **श्री पीरू सुपुत्र श्री देवी जाति मेहरात निवासी गांव झाक बाडिया धीरोला तहसील, मसूदा अजमेर**
2. **श्री पहलवान सुपुत्र श्री पीरू जाति मेहरात निवासी ग्राम झाक बाडिया धीरोला तहसील–मसूदा जिला, अजमेर।**

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 91 92, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 29.09.2016

वादी ने इस वाद में सारांशतः निवेदन किया है कि वह ग्राम बाडिया मेदा पटवार क्षेत्र जीवाणा भू.उ.नि. क्षेत्र रामगढ़ तह. मसूदा स्थित विवादित आराजी ख.नं. 450 रक्बा 14 बिस्वा व 442 रक्बा 09 बिस्वा में जमाबंदी संवत् 2060–2063 एवं शुरू से खातेदार काश्तकार चला आता है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत बद हो गई है और उन्होने विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर गैर कानूनी रूप से खनन कार्य शुरू कर दिया है । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजी में खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे तथा उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा खनन कार्य से निषेध किया जावे ।

प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया है कि वादी स्वयं जवाब देहिदा की कब्जे एवं मिल्कियत की आराजी पर आकर गैर कानूनी तौर पर खनन कार्य प्रारम्भ कर लडाई झगडा करता है विवादित आराजी का नक्शा देखने मात्र से स्पष्ट हो जावेगा कि किसकी भूमि कहां तक है । प्रतिवादी ने वादी की भूमि पर कही कब्जा नहीं किया है । अपितु वादी द्वारा प्रतिवादी की भूमि पर कब्जा किया हुआ है अतः प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन प्रतिवादी के पक्ष में बनता है । वाद मनघडंत कथनों पर पाया गया है । अतः सव्यय निरस्त फर्माया जावे ।

काउन्टर क्लेम में निवेदन किया है कि विवादित आराजी उसकी पुश्तैनी आराजी है जिसे भू–संशोधन के बाद की जमाबंदी में वादी के नाम लगा दी है जिसकी दुरूस्ती हेतु धारा 136 एल.आर. एक्ट का एक आवेदन प्रतिवादी द्वारा इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है जो न्यायालय में विचाराधीन है । वादी एवं प्रतिवादी के खेत पास–पास में है । जहां प्रतिवादी खनन कार्य कर रहा है वह भूमि पूराने रेकार्ड अनुसार प्रतिवादी की भूमि है । वादी ने उसके खाते की आराजी से अधिक कब्जा कर रखा है । अतः प्रतिवादी का काउन्टर स्वीकार कर उसकी भूमि का कब्जा वादी से दिलवाया जावे ।

प्रतिवाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम पेश होने पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम कर शहदत पक्षकारान तलब की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

तनकी 1 आया वादी ग्राम बाडिया मेदा के ख.नं. 450, 442 की वाद ग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ? .....वादी

(9)

तनकी 2 आया वादी वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ? .....वादी

तनकी 3 आया वादी वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगणों अवैध खनन को बन्द कराने एवं वर्ष 2004 से अवैध खनन करने से क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है ? .....वादी

तनकी 4 आया प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि हेतु प्रतिवाद पत्र में वर्णित कारणों से वाद खर्चे हर्जे के खारिज कराने के अधिकारी है ? .....प्रतिवादीगण

5 अनुतोष ?

तनकी सं. 1 से 3 को वादी को साबित करनी है जिसकी साबिति के लिए उसने प्रदर्श 1 से 9 दस्तावेज पेश किये है जिन्हे उसने अपने बयान शपथ–पत्र में भी उद्धत किये है । शपथ–पत्र वाद कथन ही दोहराए है । वादी ने दिनांक 01.06.2013 को राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता । वादी की तस्दीक उसके अभिभाषक ने राजीनामे पर की है यह राजीनामा अकेले वादी ने अपनी और से पेश किया है । राजीनामें की रूह से वाद वादी प्रतिवाद पत्र एव काउन्टर क्लेम के कथानानुसार मनघडंत तथ्यों पर वाद लाया जाना पाया जाता है । बयान अकेले वादी ने पेश किये है प्रकरण स्वतंत्र गवाह कोई नहीं है । ये सभी तथ्य इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादी के पक्ष में कायम तनकियात पर वादी किसी भी अनुतोष की प्राप्ति का अधिकारी नहीं पाया जाता है अतः तनकी 1 से 3 विरूद्ध वादी तय की जाती है ।

तनकी 4 प्रतिवादी संख्या 1 को साबित करनी है । उसने मौखिक कथनों से बताया है कि विवादित आराजी उसकी पुश्तैनी है जिस पर ही वह काबिज है लेकिन भू–संशोधन के गलत इन्द्राजात से वादी इनमें हक जताता है जिसकी दुरूस्ती के लिए उसने धारा 136 एल.आर. एक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है । इसलिए वाद पत्र खारिज किया जावे । इस बाबत् प्रतिवादी ने कोई शहादत नहीं करवाई है। तनकी साबित करने में प्रतिवादी भी असफल रहा है ।

बहस विद्वान अभिभाषक गण उभय पक्षान सुनी गई । उनके तर्क–वितर्क वाद एवं प्रतिवाद कथनानुसार ही रहे है । मैंने सम्पूर्ण पत्रावली की अवलोकन किया । राजस्व अभिलेखानुसार विवादित आराजी के वादी खातेदार है ऐसी स्थिति में घोषणा की कोई आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती । अन्य अनुतोष के लिए वह राजीनामें की रूह से हकदार नहीं रहा ना ही प्रतिवाद एवं काउन्टर क्लेम कथनों को दृष्टिगत रखते हुए एसे अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी पाया जाता है ।

अनुतोष ?

दौराने अन्वेषण वादी किसी अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं पाया गया है ।

अतः वादी द्वारा ग्राम बाडिया मेदा स्थित विवादित आराजी ख.नं. 450 एवं 442 बाबत् लाया गया वाद एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा लाया गया काउन्टर क्लेम दोनों सव्यय निरस्त किये जाते है यथानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2016 को कार्यालय हाजा में सर इलजास सुनाया जा रहा है ।

(सुरेश चावला)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा–अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 17:08:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: